

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ललितपुर।

पत्रांक-मु0चि0अ0/कोविड-19/2020-21/207


दिनांक-21.04.2020

समस्त कार्यालयध्यक्ष,
जनपद ललितपुर।

विषय- सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान/तम्बाकू सेवन करने वालों पर उचित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019-20/8375 लखनऊ दिनांक 13.04.2020 के क्रम में आपको अवगत कराना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किया जा चुका है। तथा भारत सरकार और उ0प्र0 सरकार द्वारा इस विश्व व्यापी महामारी को गम्भीरता से लेते हुये इसकी रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा-निर्देश एवं हैल्पलाईन नं0-18001805145 जारी किया गया है। तथा जनस्वास्थ्य के हित में कोरोना वायरस (COVID-19) को फैलने से रोकने के लिये सार्वजनिक स्थानों जैसे समस्त कार्यालय, कैफे, बार, लाउन्ज, रेस्टोरेन्ट आदि में हर तरह के तम्बाकू उत्पाद पेश करने और पीने के कृत्य को प्रतिबन्धित करना जरूरी है। इस प्रकार स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत अभियान में योगदान मिलेगा।

अतः कोरोना वायरस (COVID-19) को ध्यान में रखते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि कार्यालयों में तम्बाकू उत्पाद का सेवन कर धूकने वाले पर कार्यवाही करते हुये तम्बाकू उत्पादों को पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित करें एवं साथ ही साथ उक्त कृत्य करते हुये पाये जाने पर कोटपा एक्ट-2003 के नियमों/अधिनियमों इत्यादि के अन्तर्गत कार्यवाही करने का कष्ट करें।



मुख्य चिकित्सा अधिकारी
ललितपुर।

पत्रांक-मु0चि0अ0/कोविड-19/2020-21/

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. राज्य नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, झांसी मण्डल झांसी।
4. जिलाधिकारी, ललितपुर।
5. अपर जिलाधिकारी इंचार्ज कोविड-19, ललितपुर।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
ललितपुर।